RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATIOON
HEAD OFFICE , PARIVAHAN MARG, JAIPUR.

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from Insurance companies for Comprehensive Insurance of about 1000 New Buses and for passengers and Third Party Insurance of about 3250 other buses of this corporation (Avarage 50 seating Capacity) on **29.02.2012** A pre-bid meeting will be held on dated **13.02.2012 at 3.00 PM** for the said tender. Revised Tender document will be uploaded on the website of RSRTC after discussion in pre-bid meeting. There after no advertisement will be given in news paper. The detailed terms & conditions can be obtained from, HO, Parivahan Marg , Jaipur during the office hours and can be seen on Corporation **website www.rsrtc.rajasthan.gov.in**. also. The tender can be submitted on **29.02.2012 at 3.00 PM** to be opened on the same day at 3.30 PM in the chamber of Dy. G M (Fin & Payment) in the presence of tenderers.

FINANCIAL ADVISOR

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर

निविदा सूचना

निगम की लगभग 1000 नई वाहनों का सम्पूर्ण (Comprehensive) बीमा एवम् अन्य 3250 वाहनों के यात्रियों (औसत बैठक क्षमता 50 यात्री प्रति वाहन) एवंम् तृतीय पक्ष जोखिम बीमा करवाये जाने हेतु समस्त बीमा कम्पनियों से दिनांक **29.02.2012** को सीलबन्द निविदाएं आमत्रिंत की जाती है। उक्त निविदा के लिए दिनांक **13.2.2012 को 3.00** बजे प्री–बिड बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें हुई चर्चा उपरान्त निविदा प्रपत्र में संशोधन वेब साईट पर जारी किया जाएगा, पुनः समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं होगा। इच्छुक बीमा कम्पनियॉ कार्यालय समय में निविदा फार्म मय शर्तो के निगम मु0 परिवहन मार्ग, जयपुर से प्राप्त कर सकते है। फार्म एवं शर्तें निगम website www.rsrtc.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। निविदाएं दिनांक **29.2.2012** को मध्यान्ह पश्चात 3.00 बजे तक उप महा प्रबन्धक (वित्त–भुगतान) के कक्ष में जमा कराई जा सकती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष 3.30 बजे खोली जावेंगी।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान राज्य पथ परिहवन निगम, परिवहन मार्ग, जयपुर।

निविदा प्रपत्र

निविदा प्राप्त करने की दिनांक 29.2.2012 समय अपराहन 3 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 29.2.2012 समय अपराहन 3.30 बजे

बसों की संख्या निगम के विभिन्न आगारों /ईकाईयों की लगभग 1000 नई बसें एवं अन्य 3250 बसें

बीमा प्रीमियम की वार्षिक राशि (प्रति बस की दर) का विवरण

विवरण प्रति बस	सम्पूर्ण बीमा के लिए दर राशि रू0	यात्रियों एवं तृतीय पक्ष जोखिम बीमा के लिए दर राशि रू0
बैसिक प्रीमियम		
प्रीमियम 50 यात्रियों के लिए @..............प्रति यात्री		
प्रीमियम ड्राईवर के लिए		
प्रीमियम कण्डक्टर के लिए		
योग		
+ सर्विस टेक्स@		
कुल योग प्रीमियम राशि (अंकों में)		
कुल योग प्रीमियम राशि (रू0 में)		

उप महा प्रबन्धक(वित्त–भुगतान)
मुख्यालय, जयपुर।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय पूरा नाम एवं स्थाई पता

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री व निगम वाहनों का सम्पूर्ण एवं तृतीय पक्ष बीमा करवाये जाने हेतु निविदा शर्तें ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के यात्री व निगम वाहनों का सम्पूर्ण एवं तृतीय पक्ष बीमा कराये जाने पर बीमित वाहनों व यात्रियों के मामले में निम्नानुसार पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा –

1. निगम की लगभग 1000 नई बसों का सम्पूर्ण (Comprehensive) बीमा एवं अन्य 3250 बसों का यात्री व तृतीय पक्ष बीमा कराया जाना है।
2. बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त वाहन व यात्रियों के मामले में निगम के विरूद्व न्यायालय द्वारा आदेशित सभी प्रकार के दावों की राशि का पुनर्भरण ।
3. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की सूचना निगम द्वारा दिये जाने के उपरान्त, अधिकतम 24 घन्टे में बीमा कम्पनी के अनवेक्षकों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अटेण्ड करना आवश्यक होगा।
4. किसी भी दावे एवम् उसके विरूद्व अपील का प्रतिरक्षण /खर्चे /शास्ती के लिए बीमा कम्पनी की पूर्णतया जिम्मेदारी रहेगी एवम् उक्त खर्चो का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
5. निगम को पक्षकार बनाने पर दावे की प्रति से प्राप्त क्लेम /अपील की प्रति निगम को प्राप्त होने पर बीमा कम्पनी को प्रतिरक्षण हेतु स्थानान्तरित कर दी जावेगी एवम् प्राप्ति की रसीद ली जावेगी।
6. राजस्थान राज्य एवम् राजस्थान से बाहर भारत देश में दायर समस्त दावों / उच्चतम न्यायालय /उच्च न्यायालय में वाद /अपील दायर होते हैं तो बीमा कम्पनी के अधिवक्ताओं द्वारा ही प्रतिरक्षण (कन्टेस्ट) किये जावेगें।
7. बीमित अवधि के समस्त बीमा दावों का बीमित अवधि के पश्चात भी न्यायालय निर्णयानुसार पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
8. यात्रियों व तृतीय पक्ष को समस्त भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
9. न्यायालय में समस्त दावे जिनमें निगम को पक्षकार बनाया जावेगा , बीमा कम्पनी के द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिरक्षण किया जावेगा।
10. वाहनों की औसत बैठक क्षमता 50 यात्री है।
11. निविदादाता द्वारा निविदा सील बन्द लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगें साथ ही नियम एवं शर्तो की हस्ताक्षर शुदा प्रति निविदा के साथ संलग्न कर लौटानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. निविदा में किसी भी तरह की काट छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। दरें शब्दों तथा अंकों में संलग्न निविदा प्रपत्र में स्पष्ट वर्णित होनी चाहिये।
13. बीमा कम्पनियों से प्राप्त बीमा प्रिमियम प्रस्ताव पर निगम द्वारा नेगोसिएशन अपनी शर्तो के आधार पर किया जावेगा।
14. बीमा कम्पनियॉ उक्त वाहनों व यात्रियों का बीमा कराने के लिये निगम को अपनी ओर से सुधारात्मक सुझाव/प्रस्ताव जो निगम हित में हो दे सकती है।

15. निगम की वाहनें विभिन्न आगारों द्वारा राजस्थान क्षेत्र एवं अन्य राज्यों में भी संचालित की जाती है जो बीमा हेतु सम्मिलित होगीं।
16. निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 29.2.2012 को अपराहन 3.30 बजे उप महा प्रबन्धक (वित्त–भुगतान) के कक्ष में खोली जावेगी।
17. निगम को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. न्यायालय द्वारा निगम खाते से न्यायालय अवार्ड के तहत राशि अटेचमेन्ट करली जाती है/निकाली जाती है तो वह राशि बीमा कम्पनी द्वारा निगम को तुरन्त भुगतान करनी होगी।
19. अनुबन्ध अवधि से सम्बन्धित धटना के मोटर दुर्घटना की अपीलों में समुचित प्रतिरक्षण की कार्यवाही नहीं होने अथवा एकतरफा कार्यवाही होने पर आने वाले दायित्व (खर्चा/मुआवजा) का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा। इस स्थिति में निगम के द्वारा अपने उपर आये हुए अतिरिक्त दायित्व के विरूद्व में किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने पर होने वाले खर्चे का वहन/पुनर्भरण के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी । यदि प्रतिरक्षण की कार्यवाही निगम के द्वारा दी जाने गवाहनों/सूचना /दस्तावेजों में विलम्ब के कारण प्रभावित होती है तो उस स्थिति में निगम में आने वाले दायित्व (खर्चा/मुआवजा) का वहन निगम द्वारा किया जावेगा।
20. न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित की गई दावों की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा। न्यायालय द्वारा बीमा सीमा से अधिक अवार्ड पारित करने की स्थिति में अन्तर की राशि का पुनर्भरण निगम द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व न्यायालय/दावेदार को किया जावेगा।
21. राज्य के बाहर एवम् आगार कार्य क्षेत्र के बाहर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिए अधिकृत वकीलों /अनवेक्षकों की व्यवस्था भी बीमा कम्पनी को करनी होगी और उसकी सूचना निगम को देनी होगी।
22. दुर्घटना के फलस्वरूप तृतीय पक्ष सम्पत्ति की क्षति के लिए अधिकरण द्वारा कोई राशि तृतीय पक्ष को दिलाई जाती है, उसके भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी की होगी।
23. बीमा कम्पनी का जयपुर में कार्यालय होना आवश्यक है।

<u>निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढा है एवं सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

दिनांक–22.2.2012

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्री व निगम वाहनों का सम्पूर्ण एवं तृतीय पक्ष बीमा करवाये जाने हेतु संशोधित निविदा शर्तें ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के यात्री व निगम वाहनों का सम्पूर्ण एवं तृतीय पक्ष बीमा कराये जाने पर बीमित वाहनों व यात्रियों के मामले में निम्नानुसार पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा –

1. निगम की लगभग 1000 नई बसों का सम्पूर्ण (Comprehensive) बीमा एवं अन्य 3250 बसों का यात्री व तृतीय पक्ष बीमा कराया जाना है।
2. बीमा अवधि में दुर्घटनाग्रस्त वाहन व यात्रियों के मामले में निगम के विरूद्व न्यायालय द्वारा आदेशित सभी प्रकार के दावों की राशि का पुनर्भरण ।
3. दुर्घटनाग्रस्त वाहन की सूचना निगम द्वारा दिये जाने के उपरान्त, अधिकतम 24 घन्टे में बीमा कम्पनी के अनवेक्षकों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त वाहन को अटेण्ड करना आवश्यक होगा।
4. किसी भी दावे एवम् उसके विरूद्व अपील का प्रतिरक्षण /खर्चे /शास्ती के लिए बीमा कम्पनी की पूर्णतया जिम्मेदारी रहेगी एवम् उक्त खर्चो का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
5. निगम को पक्षकार बनाने पर दावे की प्रति से प्राप्त क्लेम /अपील की प्रति निगम को प्राप्त होने पर बीमा कम्पनी को प्रतिरक्षण हेतु स्थानान्तरित कर दी जावेगी एवम् प्राप्ति की रसीद ली जावेगी।
6. राजस्थान राज्य एवम् राजस्थान से बाहर भारत देश में दायर समस्त दावों / उच्चतम न्यायालय /उच्च न्यायालय में वाद /अपील दायर होते हैं तो बीमा कम्पनी के अधिवक्ताओं द्वारा ही प्रतिरक्षण (कन्टेस्ट) किये जावेगें।
7. बीमित अवधि के समस्त बीमा दावों का बीमित अवधि के पश्चात भी न्यायालय निर्णयानुसार पुनर्भरण बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
8. यात्रियों व तृतीय पक्ष को समस्त भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
9. न्यायालय में समस्त दावे जिनमें निगम को पक्षकार बनाया जावेगा , बीमा कम्पनी के द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं द्वारा प्रतिरक्षण किया जावेगा।
10. वाहनों की औसत बैठक क्षमता 50 यात्री है।
11. निविदादाता द्वारा निविदा सील बन्द लिफाफे में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगें साथ ही नियम एवं शर्तो की हस्ताक्षर शुदा प्रति निविदा के साथ संलग्न कर लौटानी होगी, इसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
12. निविदा में किसी भी तरह की काट छांट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है। दरें शब्दों तथा अंकों में संलग्न निविदा प्रपत्र में स्पष्ट वर्णित होनी चाहिये।
13. बीमा कम्पनियों से प्राप्त बीमा प्रिमियम प्रस्ताव पर निगम द्वारा नेगोसिएशन अपनी शर्तो के आधार पर किया जावेगा।

14. बीमा कम्पनियॉ उक्त वाहनों व यात्रियों का बीमा कराने के लिये निगम को अपनी ओर से सुधारात्मक सुझाव/प्रस्ताव जो निगम हित में हो दे सकती है।
15. निगम की वाहनें विभिन्न आगारों द्वारा राजस्थान क्षेत्र एवं अन्य राज्यों में भी संचालित की जाती है जो बीमा हेतु सम्मिलित होगीं।
16. निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष दिनांक 29.2.2012 को अपराहन 3.30 बजे उप महा प्रबन्धक (वित्त–भुगतान) के कक्ष में खोली जावेगी।
17. निगम को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।
18. न्यायालय द्वारा निगम खाते से न्यायालय अवार्ड के तहत राशि अटेचमेन्ट करली जाती है/निकाली जाती है तो वह राशि बीमा कम्पनी द्वारा निगम को तुरन्त भुगतान करनी होगी।
19. अनुबन्ध अवधि से सम्बन्धित धटना के मोटर दुर्घटना की अपीलों में समुचित प्रतिरक्षण की कार्यवाही नहीं होने अथवा एकतरफा कार्यवाही होने पर आने वाले दायित्व (खर्चा/मुआवजा) का वहन बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा। इस स्थिति में निगम के द्वारा अपने उपर आये हुए अतिरिक्त दायित्व के विरूद्व में किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही करने पर होने वाले खर्चे का वहन/पुनर्भरण के लिए बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी । यदि प्रतिरक्षण की कार्यवाही निगम के द्वारा दी जाने गवाहनों/सूचना /दस्तावेजों में विलम्ब के कारण प्रभावित होती है तो उस स्थिति में निगम में आने वाले दायित्व (खर्चा/मुआवजा) का वहन निगम द्वारा किया जावेगा।
20. न्यायालय/अधिकरण द्वारा पारित की गई दावों की राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जावेगा।
21. राज्य के बाहर एवम् आगार कार्य क्षेत्र के बाहर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के लिए अधिकृत वकीलों /अनवेक्षकों की व्यवस्था भी बीमा कम्पनी को करनी होगी और उसकी सूचना निगम को देनी होगी।
22. दुर्घटना के फलस्वरूप तृतीय पक्ष सम्पत्ति की क्षति के लिए अधिकरण/ न्यायालय द्वारा कोई राशि तृतीय पक्ष को दिलाई जाती है, उसके भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी की होगी।
23. बीमा कम्पनी का जयपुर में कार्यालय होना आवश्यक है।

<u>निविदादाता द्वारा की जाने वाली घोषणा</u>

मैंने उपरोक्त नियम एवं शर्तों को सावधानीपूर्वक पढा है एवं सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर